③ -1- 192

कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनाऐं, जयपुर ।
(जयपुर विकास प्राधिकरण, भवन)

क्रमांक भू० अ/नवि/91/ दिनांक. 25/7/91

मुकदमा संख्या :

1. 77/88
2. 90/88

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर की भूमि अवाप्ति बाबत (पृथ्वीराज नगर योजना)

अवार्ड

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प-6(15)नविआ/II/87 दिनांक 5-1-1988 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र दिनांक 7, जुलाई 1988 को कराया गया ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प-6(15)नविआ/87 दिनांक 28-7-1989 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र जुलाई 31, 1989 को किया गया ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर की अवाप्तिधीन भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गयी है :-

---2

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाऐं
जयपुर

193

मुकदमा नं0	खा0नं0	रकबा बी0	रकबा वि0	काश्तकार/हिस्सेदार का नाम	
77/88	75	28	00	श्योचंद, गोविंदराम, नारायण, रामकुमार राम सहाय पि0प्रताप हि॰ 1/2, रामनाथ पुत्र नाथा हि0 1/2	
	76	27	12		
	109	00	04		
	128	00	02	"	"
	147	08	11	"	"
	138				
	186	14	02	"	"
	161	22	17	"	"
	155	12	11	"	"
	254	00	06	"	"
	105	02	02	गोविंद राम, नारायण, देव प्रताप जाति अहीर साकिन देह	
	131	01	13		
	136/1	01	05	"	"
	140	00	01	"	"
	150/2	01	05	"	"
	152/2	00	16	"	"
	239	02	01	"	"
	242	01	04	"	"
	107	01	08	श्योचंद, रामकुमार, राम सहाय पि0 प्रताप जाति अहीर साकिन देह खातेदार	
	129	00	12	"	"
	130/2	00	06	"	"
	132	01	09	"	"
	136/2	02	03	"	"
	139	01	03	"	"
	140	01	01	"	"
	141	01	14	"	"
	144	00	01	"	"
	145	00	01	"	"
	150/1	01	17	"	"
	152/1	02	0[illegible]	"	"
	244	01	08	"	"
	246	01	00	"	"
	108	00	10	श्योचंद, रामकुमार, गोविंदराम, श्योनारायण, राम सहाय पि0प्रताप जाति अहीर सा0देह खातेदार	
	136/3	01	15	गोविंदराम, भाटी राम पि0प्रताप जाति अहीर	
	136/4	01	07		
	127	01	06	रामनाथ पुत्र नाथा, कौम अहीर सा0देह खातेदार	

194

मुकदमा नं0	ख.नं.	रकबा	खातेदार/हितदार का नाम
90/88	106	03-17	रामनाथ पुत्र काना जाति अहीर सा.देह.खातेदा
	127	01-06	
	110	00-11	
	111	00-15	
	112	01-11	
	113	00-15	
	126	03-00	
	133	00-12	
	134	00-10	
	135	04-14	
	137	02-16	
	142	00-01	
	149	04-00	
	151	03-00	
	240	00-18	
	241	01-04	
	243	01-05	
		30-15	
	136/3	01-15	गोविंदराम,घासीराम पिता प्रताप अहीर.
	136/4	01-07	

धारा 6केगजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 75 रकबा 28बीघा ख.नं. 76 रकबा 27 बीघा 12बिस्वा,खसरा नं. 109 रकबा 4बिस्वा,128रकबा2बिस्वा, 147रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा,186रकबा 14बीघा 2बिस्वा,161 रकबा 22बीघा 17 बिस्वा,155 रकबा 12बीघा 11बिस्वा, 254रकबा 6बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्योचंदा गोविन्दराम,श्रीनारायण ,रामकुमार,रामसहाय पि.प्रताप हि. 1/2,रामनाथ पु.काना हि. 1/2 के नाम दर्ज है । ख.नं. 105 रकबा 2बीघा 2 बिस्वा 131 रकबा 1बीघा 13 बिस्वा 136/1 रकबा 1बीघा 5बिस्वा, 143 रकबा 1बिस्वा, 150/2 रकबा 1बीघा 5 बिस्वा, 152/2 रकबा 16बिस्वा, 239 रकबा 2 बीघा 1बिस्वा 242रकबा 1बीघा 4बिस्वा व खसरा नं. 130/1 रकबा 6बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील सांगानेर में गोविन्दराम,श्रीनारायण,देवप्रताप जाति अहीर सा.देह. के नाम दर्ज है तथा भूमि ख.नं. 129 रकबा 12 बिस्वा107 रकबा 1बीघा 8बिस्वा 130/2 रकबा 6बिस्वा,132रकबा 1बीघा 9 बिस्वा 136/2 रकबा 2बीघा 3 बिस्वा, 139 रकबा 1बीघा 3बिस्वा, 140 रकबा 1बीघा 1बिस्वा, 141 रकबा 1बीघा 14बिस्वा, 144रकबा 1बिस्वा, 145रकबा 1बिस्वा, 150/1 रकबा 1बीघा 17 बिस्वा, 152/1 रकबा 2बीघा 244 रकबा 1बीघा 8बिस्वा 245 रकबा 1बीघा श्योचंदा,रामकुमार,रामसहाय पि.प्रताप जाति अहीर सा. देह खातेदार के नाम दर्ज है भूमि खसरा नं. 108 रकबा 10 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में श्योचन्दा,रामकुमार,गोविन्दराम,श्योनारायण,रामसहाय,पि.प्रताप जाति अहीर सा.देह. खातेदार के नाम दर्ज है ।

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में ख.नं. 106रकबा 3बीघा 17बिस्वाख.नं. 127 रकबा 1बीघा 6बीस्वा, खसरा नं. 110 रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 111 रकबा 15 बिस्वा खसरा नं. 112 रकबा 1बीघा 11 बिस्वा,खसरा नं. 113 रकबा 15बिस्वा, ख.नं.126 रकबा 3बीघा,खसरा नं. 133रकबा 12बिस्वा, खसरा नं. 134 रकबा 10

.....4.

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

10 195

बिस्वा, खसरा नं. 135 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 137 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 142 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 149 रकबा 4 बीघा, खसरा नं0 151 रकबा 3 बीघा, खसरा नं0 240 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नं0 241 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 243 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में रामनाथ पुत्र कान्हा जाति अहीर वाा देह खातेदार के नाम दर्ज है ।

धारा-6 के गजट नोटीफिकेशन में भूमि खसरा नं0 136/3 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा खसरा नं0 136/4 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में गोविन्दराम, घासीराम पि0 प्रताप अहीर के नाम दर्ज है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के अन्तर्गत दिनांक 29-4-91 को तामील कुनिन्दा व रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा तामील कराये जाने हेतु नोटिस जारी किये गये । तामील कुनिन्दा की हलफीया रिपोर्ट के अनुसार खातेदारान/हितदारान के परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामील कराया गया । डाकघर की रिपोर्ट के अनुसार प्राप्तकर्ता बाहर रहते है जो शामिल मिसल है । तत्पश्चात दिनांक 7-5-91 को दैनिक नवज्योति व नवभारत टाइम्स समाचार पत्र के माध्यम से खातेदारान/हितदारान को धारा 9 व 10 के नोटिस का प्रकाशन कराया गया । इसके पश्चात भी खातेदार गोविन्दराम, घासीराम पि. प्रताप अहीर उपस्थित नहीं हुए । अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

सीताराम जरिये अभिभावक द्वारा श्योनारायण, बाबूराम, प्रभुदयाल, गुलाबचंद, रामलाल, मंगलराम, नाथुलाल, भुआलाल पुत्रान रामनाथ भुआलाल यादव, रामेश्वर, बुधाराम, रामनिवास, मोहनलाल यादव, राधेश्याम पुत्रान गिरधारी की ओर से वकालतनामा व क्लेम प्रार्थना पत्र दिनांक 24-6-91को प्रस्तुत किया । क्लेम प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को दी गई । क्लेम प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा भूमि खसरा नं. 109 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 147 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 161 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 186 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं. 254 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 128 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 155 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 75 रकबा 28 बीघा 12 बिस्वा, कुल रकबा 114 बीघा 5 बिस्वा श्री श्योचन्दा, गोविन्दा, सीताराम, रामकुमार, रामनाथ, पि0 प्रताप बराबर 1/2 व श्री रामनाथ पुत्र कान्हा हि. 1/2 कदीम खातेदारी थी । दिनांक 20-12-85 द्वारा रामनाथ के ....:5/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ,
जयपुर

1/2 हिस्से के बजाय सूर्यनारायण,बाबूराम,प्रभुदयाल,गुलाबचंद,रामलाल, मंगलराम,नानूलाल,सुआ लाल पि·रामनाथ हि·8/9 व रामेश्वर, सुंथा,रामनिवास मोहन राधेश्याम पि·गिरधारी हि· 1/9 है । उक्त भूमि के ख·नं·के कुल रकबा 114बीघा 5बिस्वा है में से 57बीघा ढाई बिस्वा प्रार्थीगण की है इसके अतिरिक्त भूमि ख·नं· 126 रकबा 3बीघा, 127 रकबा 1बीघा 6बिस्वा, 133 रकबा 12बिस्वा, 134 रकबा 10बिस्वा, 135 रकबा 8बीघा 14बिस्वा, ख·नं· 137 रकबा 2बीघा 16बिस्वा, 106 रकबा 3बीघा 17बिस्वा, ख·नं· 110 रकबा 11बिस्वा, 111 रकबा 15बिस्वा, 112 रकबा 1बीघा 18बिस्वा, 113 रकबा 15बिस्वा, 142 रकबा 1बिस्वा, 149 रकबा 4बीघा, 151 रकबा 3बीघा, 240 रकबा 18बिस्वा, 241 रकबा 1बीघा 4बिस्वा, 243 रकबा 1बीघा - 5बिस्वा कुल रकबा 30बीघा 15बिस्वा जो प्रार्थीगण के खातेदारी की है और हिस्से की भूमि 57 बीघा ढाई बिस्वा है । इस तरह कुल भूमि 87बीघा साढे सत्रह बिस्वा प्रार्थीगण की है जो कि ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में स्थित है । जिसकी मुआवजा राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी है ।तथा यह निवेदन किया कि सन् 1988 में वैशाली नगर में कम से कम 300/-रू·प्रति वर्गगज की दर से भूमि आवंटन करने की दर निश्चित की गयी थी । अतः प्रार्थी की भूमि 87बीघा साढे सत्रह बिस्वा अर्थात 2,65,8,116 वर्गगज में से 40प्रतिशत के हिसाब से 1,06,327 वर्गगज कम करने पर शेष क्षेत्रफल 1,59,491 वर्गगज रहता है जिसकी बाजारी दर 260/-रू· 1,06,327 वर्गगज=[illegible] 2,76,45,020/-रू·पाने का अधिकारी है ।

1· भूमि मुआवजा राशि	2,76,45,020·00
2· मंगल की भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 870·67 स्क्वायर फीट जिसकी दर 180/-रू· प्रति स्क्वायर फिट	1,56,936·60
3· रामनाथ की भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 4898·75 स्क्वायर फिट है जिसकी दर 240/-रू·प्रति स्क्वायर फिट है ।	11,75,700·00
4· नानूलाल की भूमि स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 1470·75 स्क्वायर फिट है जिसकी दर 220/-रू·प्रति स्क्वायर फिट है·	3,23,565·00
5· गुलाबचंद की भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 1568·75स्क्वायर फिट है जिसकी दर 220/-रू·प्रति स्क्वायर फिट है ।	3,45,125·00

6.	बुधाराम की उक्त भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 1158.25 स्क्वायर पिट जिसकी दर 220/-रू.प्रति स्क्वायर पिट है	2,54,815.00
7.	भोरी लाल की भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 301.00 स्क्वायर पिट है जिसकी दर 220/-रू.प्रति स्क्वायर पिट है ।	66,220.00
8.	राम निवास की भूमि के स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 962.87 स्क्वायर पिट है जिसकी दर 220/-रू.प्रति स्क्वायर पिट है ।	2,11,831.40
9.	प्रभूदयाल की भूमि में स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 1200स्क्वायर पिट है जिसकी दर 220/-रू.प्रति स्क्वायर पिट है	2,64,000.00
10.	श्योलाल की भूमि का स्ट्रेक्चर का क्षेत्रफल 1314.25स्क्वायर पिट है जिसकी दर 220/-रू.प्रति स्क्वायर पिट है का मुआवजा	2,89,135.00
11.	खा.नं. 137,138,113,112,110, 111,105,106,107,108,109, 139,141,140,234,238,239, 242,243 में 1400 स्क्वायर पिट पाईप लाईन डली हुई है जो सीमेंट की है,जिसकी दर मय मजदूरी के 20/-रू.प्रति वर्गपीट के हिसाब से	28,000.00
12.	उपरोक्त खासरों में 11 होदी है, प्रत्येक होदी का क्षेत्रफल 3x4वर्गफीट है, प्रत्येक होदी का मूल्य 4000/-रू.है अर्थात	44,000.00
13.	उपरोक्त खा.नं.में 2कुए है जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार है- गहराई 120 फीट बोरिंग 90फीट कुए का घेरा 8फीट मोटर साढे सात हार्स पावर सीमेंट 120गहराई बजरी रोडी केबल 160 स्टाटर साढे सात हार्स पावर मेन स्वीच जी.आईपाईप 140फीट बोरिंग 32 जी.आई.पाईप ढाई इंच जिसकी मुआवजा राशि3,00,000x2=6,00,000.00	6,00,000.00
14.	उपरोक्त खा.न.में एक टैंक जिसका क्षेत्रफल 14x12तथा गहराई 6फीट है,जिसकी मुआवजा राशि	1,00,000.00

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

15.	भूमि खा.नं. 153,151,150,131,130,132, 129,135,134,137 में 1300 स्क्वायर फीट पाईप लाईन बनी हुयी है जो सीमेंट की है जिसकी दर मय मजदूरी के 20/-रूपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से	26,000.00
16.	उपरोक्त खा.नं. में 9 होदी है, प्रत्येक होदी का क्षेत्रफल 3x4वर्गफीट है प्रत्येक होदी का मूल्य 4000/-रू. है अर्थात	36,000.00
17.	उपरोक्त खा.नम्बरान में एक कुआ व दो पंप सेट व दो बोरिंग स्थित है जिनका मूल्य 5,00,000/-रू. है	5,00,000.00
18.	खा.नं. 146,147,155 में 1000स्क्वायर फीट पाईप लाईन बनी हुई है जो सीमेंट की है, जिसकी दर मय मजदूरी के 20/-रूपये प्रति वर्ग फीट के हिसाब से	20,000.00
19.	उपरोक्त खा.नं. में 7 होदी है, प्रत्येक होदी का क्षेत्रफल 3x4 वर्ग फीट है, प्रत्येक होदी का मूल्य 4000/-है अर्थात	28,000.00
20.	उपरोक्त खा.नम्बरान में एक कुआ है जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार है-- गहराई 120फीट बोरिंग 90 फीट कुए का घेरा 8 फीट मोटर 2 साढे सात हार्स पावर की सीमेंट 120 गहराई बजरी रोडी केवल 160 स्टार्टर साढे सात हॉर्स पावर मेन स्वीच जी.आई.पाईप 140 फीट बोरिंग 32 जी.आई.पाईप डाई इंच जिसकी मुआवजा राशि	5,00,000.00
22.	उपरोक्त खा.नं. में 2 टैंक है जिनका प्रत्येक का क्षेत्रफल 9x12 वर्गफीट है, गहराई 6फीट है जो सीमेंट से बना हुआ है जिसका मूल्य	1,50,000.00
23.	खा.नं.67,68 में सीमेंट की पाईप लाईन 1088 वर्ग फीट है जिसका मूल्य	21,760.00

------8

24· उपरोक्त छा·नं·में 7 होदियां है प्रत्येक होदी का मूल्य 4000/-रू· है इस प्रकार 28,000·00

25· उपरोक्त छा·नं·में एक कुआ स्थित है जिसका क्षेत्रफल निम्न है -
गहराई 120 फीट
बोरिंग 90 फीट
कुए का घेरा 8 फीट
मोटर साढे सात हार्स पावर
सीमेंट 120 गहराई बजरी
रोडी केबल 160
स्टाटर साढे सात हार्स पावर
मैन स्वीच
जी·आई·पाईप 140 फीट
बोरिंग 32
जी·आई·पाईप ढाई इंच
जिसकी मुआवजा राशि 3,00,000·00

26· उपरोक्त छा·नं·में से एक टैंक स्थित है जिसका क्षेत्रफल 12×16 फीट गहराई 6 फीट है जो सीमेंट से बना हुआ है, जिसका मूल्य 80,000·00

ब) प्रार्थीगण की भूमि छा·नं· 109 रकबा 4 बिस्वा, 147 रकबा 6बीघा 11बिस्वा 161 रकबा 22बीघा 17बिस्वा, 186 रकबा 14बीघा 2बिस्वा, 254 रकबा 6बिस्वा, 128 रकबा 2बिस्वा, 155 रकबा 12बीघा 11बिस्वा, 75 रकबा 28बीघा 12बिस्वा कुल रकबा 114बीघा 5बिस्वा में 1/2 हिस्सा का रकबा 57बीघा ढाई बिस्वा, 126 रकबा 3बीघा, 127 रकबा 1बीघा 6बिस्वा, 137 रकबा 12बिस्वा, 134 रकबा 10बिस्वा, 135 रकबा 4बीघा 14बिस्वा, 137 रकबा 2बीघा 16बिस्वा, 106 रकबा 3बीघा 17बिस्वा, 110 रकबा 11बिस्वा, 111 रकबा 15बिस्वा, 112 रकबा 1बीघा 11बिस्वा 113 रकबा 15बिस्वा, 142 रकबा 1बिस्वा, 149 रकबा 4बीघा, 151 रकबा 3बीघा, 240 रकबा 18बिस्वा, 241 रकबा 1बीघा 4बिस्वा, 243 रकबा 1बीघा 5बिस्वा। उक्त कुल भूमि का क्षेत्रफल 87बीघा साढे तरह बिस्वा श्री श्योनारायण, बाबूराम, प्रभुदयाल, गुलाबचंद, रामलाल, मंगलराम, नानूलाल, सुवा लाल पुत्रान श्री रामनाथ हि· 8/9 व श्री रामेश्वर, सुखाराम, रामनिवास, मोहन, राधेश्याम पुत्रान गिरधारी हि· 1/2 है। उक्त भूमि में दर्शाये गये मुआवजा राशि में अपने अपने हिस्से की मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी हैं। प्रार्थीगण के मकानों को छोडते हुए भूमि को अवाप्त किया जाना न्यायोचित होगा।

---7

श्री प्रभुदयाल के पेड पौधे उक्त भूमि में एवं पाईप लाईन

1-	बम्बुल के 14 वृक्ष जिससे गुम व पातडी व छडी प्रत्येक पेड से 200/-रु. आय व प्रत्येक पेड पर व्यय 40/-रु. 160×14×10 का मूल्य	22,400.00
2-	खेजडा के 15 वृक्ष का मूल्य	36,000.00
3-	रोहू के 12 पेडों का मूल्य	28,800.00
4-	सफेदा 10 पेडों का मूल्य प्रत्येक का मूल्य 500/-रु.	5000.00
5-	अंगूर के 1 पेड	2,000.00
6-	आंवला 2 पेड	10,000.00
7-	रोंझ 2 पेड का मूल्य	800.00
8-	सीमेंट की पाईप लाईन 1600 स्क्वायर फीट जिसकी कीमत 10/-रु.	16,000.00
9-	हौद 1 जिसका क्षेत्रफल 20×20 जिसकी दर 200/-रु.प्रति स्क्वायर फिट	80,000.00

18-श्री बाबूराम पुत्र श्री रामनाथ के पेड पौधे

1-	खेजडा के 20 पेड का मूल्य	48,000.00
2-	बम्बुल के 9 पेडों का मूल्य	14,400.00
3-	शहतूत के 1 पेड का मूल्य	12,000.00
4-	सफेदा 2 पेड का मूल्य	1,000.00
5-	शीशम 2 पेड का मूल्य	16,000.00
6-	रोहू के 2 पेड का मूल्य	4,800.00

श्री रामेश्वर प्रसाद यादव के पेड पौधे

1-	खेजडा के 4 पेड का मूल्य	9,600.00
2-	बम्बुल के 5 पेड का मूल्य	8,000.00

— 10

3-	नीम के 3 पेड़ों का मूल्य	12,000·00
4-	रेड़ू के 1 पेड का मूल्य	2,400·00
5-	हूंस 1 पेड का मूल्य	500·00

कृपाराम यादव के पेड पौधे

1-	खेजड़ी के 7 पेड का मूल्य	16,800·00
2-	बम्बूल के 4 वृक्ष का मूल्य	6,400·00
3-	रेड़ू के 1 पेड का मूल्य	2,000·00
4-	सफेदा 3 पेड का मूल्य	1,500·00

रामनिवास यादव के पेड पौधे

1-	खेजड़ी के 4 पेड का मूल्य	9,600·00
2-	बम्बूल के 6 पेड का मूल्य	9,600·00

मोहन लाल यादव के पेड पौधे

1-	खेजड़ी के 4 पेड का मूल्य	9,600·00
2-	बंबूल 1 पेड का मूल्य	1,600·00
3-	रेड़ू के 4 पेड का मूल्य	9,600·00
4-	बरगोला के 1 पेड का मूल्य	500·00
		3,35,81,007·00

प्रार्थी केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 अर्थात 1984 के अंतर्गत धारा 23(1) के अनुसार दिनांक:7 जुलाई,1988 से अवार्ड की तिथि तक 12% की वार्षिक दर से भूमि का मुआवजा एवं धारा 23(2)के तहत भूमि की कीमत पर 30%अनिवार्य अवाप्ति चार्ज,अवार्ड के पश्चात अर्थात केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 28 एवं 34 के अनुसार 9 प्रतिशत एक वर्ष तक तथा एक वर्ष पश्चात 15% ब्याज भुगतान की तिथि तक पाने के लिए मांग की गयी है । प्रार्थी द्वारा 1500 व·ग का भूखण्ड और व्यवसाय करने हेतु दुकान की मांग रिजर्व प्राईज पर आवंटन करने हेतु कीगयी है ।

-----11

202

अभिभाषक श्री मनदीप सिंह द्वारा दस्तावेजों की सूची पेश की जिसमें जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प,गिरदावरी की नकलें दे, मकान का नक्शा श्री सुवालाल,रामनाथ के मकान का नक्शा, ख.नं. 110 में बने मकान श्री मगल का नक्शा, भोरी लाल, मंगल, रामनिवास,गुलाबचन्द,छूथाराम व नानु राम के मकान के नक्शे तथा 6 विक्रय पत्र की फोटो प्रतियाँ जो राज-पत्रिक अधिकारी से प्रमाणित की हुई । तथा लिखित बहस दिनांक 29-6-1991 को पेश की गई । जविप्रा के वकील को प्रति दी गई ।

जमाबन्दी [खतोनी] ग्राम गोकुलपुरा पटवार क्षेत्र तहसील जयपुर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत 2023 से 2026 की पेश की गई जिसमें रामनाथ पुत्र काना अहीर सा.देह कदीम खातेदार की भूमि ना.सं. 98 दिनांक 20-12-1985 द्वारा भूमि खसरा नम्बर 126 रकबा 3 बीघा, ख.नं. 127 1 बीघा 6 बिस्वा, ख.नं. 133 रकबा 12 बिस्वा, ख.नं. 134 रकबा 10 बिस्वा, ख.नं. 135 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा, ख.नं. 137 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा, ख.नं. 106 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, ख.नं. 110 रकबा 11 बिस्वा, ख.नं. 111 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 112 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 113 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 142 रकबा 1 बिस्वा, ख.नं. 149 रकबा 4 बीघा, ख.नं. 151 रकबा 3 बीघा ख.नं. 240 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 241 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 243 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, कुल किता 17 रकबा 30 बीघा 15बिस्वा की भूमि श्री राम नाथ के बजाय श्योनारायण, बाबूराम, प्रभु दयाल, गुलाब चन्द, रामलाल, मंगल राम, नानू राम, सुवा लाल,पि० राम नाथ हि. 8/9 व रामेश्वर छूथा, रामनिवास, मोहन,राधे श्याम पि० गिरधारी हि. 1/9 हि. ब. स्वीकार हुआ । तथा जमाबन्दी के खाता संख्या 72 में खसरा नम्बर 109 रकबा 4 बिस्वा, 147 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 161 रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा, ख.नं. 186 रकबा 14 बीघा 2 बिस्वा, ख.नं. 254 रकबा 6 बिस्वा, ख.नं. 128 रकबा 2 बिस्वा, ख.नं. 155 रकबा 12 बीघा 11 बिस्वा, ख.नं. 75 रकबा 28 बीघा ख.नं. 76 रकबा 27 बीघा 12 बिस्वा, कुल किता 9 रकबा 114 बीघा 5 बिस्वा श्योचन्द ,गोविन्द राम, श्रीनारायण, राम कंवर, रामनाथ पि० प्रताप हि. बराबर 1/2 राम नाथ पुत्र काना हि. 1/2 सा.देह कदीम खातेदार दर्ज है । इसमें नामान्तकरण सं० 98 दिनांक 20-12-85 द्वारा रामनाथ के 1/2 के बजाय श्योनारायण, बाबूराम,प्रभु दयाल, गुलाब चन्द, रामलाल, मंगल राम, नानु लाल,सुवा लाल पि० राम नाथ हि. 8/9 व रामेश्वर, छूथा, राम निवास, मोहन, राधे श्याम पि० गिरधारी हि. 1/9 हि. बराबर स्वीकार हुआ ।

जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक ने खातेदारान/हितदारान द्वारा जो क्लेम प्रार्थना पत्र में मुआवजा राशि की जो माग की गयी वह बहुत अधिक है । तथा भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर आदि का जो मुआवजा जो मांग की गयी है मनमाने तौर से तैयार किया गया है । अभिभाषक ....

स्ट्रैक्चर आदि का रजि०-वैल्यूर से प्रमाणित नहीं कराया गया है। ज जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि खसरा नं० 76 पर स्थित स्ट्रैक्चर का प्रमाणित किया जाकर जो पेश किया गया उसमें 3,07,527/- रुपये अंकित किये गये, भूमि खसरा नं०-75 में कुए का मुआवजा 61,761/- का प्रमाणित किया गया है। भूमि खसरा नं० 108 पर बने स्ट्रैक्चर आदि का मुआवजा राशि 5,14,214/- रुपये का प्रमाणित किया गया है। भूमि खसरा नं० 110 पर बने स्ट्रैक्चर आदि का मुआवजा 4,89,725/- रुपये का प्रमाणित किया गया है जिसमें 1,19,708 रुपये श्री नानूलाल के मकान का मुआवजा है। खसरा नं० 109 पर बने कुएँ का मुआवजा 25,396/- रुपये का प्रमाणित किया गया है। भूमि खसरा नं० 149 पर बने स्ट्रैक्चर का मुआवजा 3,79,149/-रु० का प्रमाणित किया गया है। भूमि खसरा नं० 151 पर बने स्ट्रैक्चर श्री [illegible] राम पुत्र रामनाथ का मुआवजा राशि ~~1568/-~~ 1,07,656/- का प्रमाणित किया गया है। भूमि खसरा नं० 155 में श्री नानू लाल पुत्र मंगल के हौज व कुए का मुआवजा 1,11,034/- रुपये का प्रमाणित किया गया। भूमि खसरा नं० 128 पर बने स्ट्रैक्चर आदि श्री राम सिंह पुत्र रामकुमार के स्ट्रैक्चर का मुआवजा 50,396/- रुपये का प्रमाणित किया गया है तथा भूमि खसरा नं० पर बने स्ट्रैक्चर का कुल मुआवजा राशि 2,44,028/- रुपये का प्रमाणित किया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि जविप्रा द्वारा अनुमोदित स्ट्रैक्चर का जो पेश किया गया है उसका भुगतान खातेदारान/हितदारान को किया जाता है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है। इस क्षेत्र की भूमि की कीमत 24,000 रुपये प्रति बीघा से अधिक नहीं है अतः भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण 24,000 रुपये प्रति बीघा से किया जाता है तो जविप्रा को कोई आपत्ति नहीं है। खातेदारान/हितदारान द्वारा जो व्यवसाय हेतु दुकान व निवास हेतु मकान 1500 वर्ग गज की मांग की गयी है वह स्वीकार नहीं है क्योंकि इसका असर पृथ्वीराज नगर योजना पर बुरा पड़ेगा। खातेदारान / हितदारान की ओर अभिभाषक द्वारा लिखित बहस जो पेश की गयी है उसके सम्बन्ध में निवेदन है कि भूमि अवाप्ति का कार्य केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम में अवाप्ति की कार्यवाही को अनिवार्य अवाप्ति माना गया है। तथा अन्य बिन्दुएं कानूनी है। हितदारान द्वारा जो कब्जा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उन्हें हितधारी व्यक्ति मान लिया जावे एवं भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही भुगतान किया जावे। हम जविप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत है।

जविप्रा के अभिभाषक का कथन है कि गोविन्दाराम, श्रीनारायण, देवप्रताप, श्योनन्दा, रामकुमार, रामसहाय पिता प्रताप जाति अहीर व माधो राम पिता प्रताप व श्योनारायण पुत्र प्रताप को केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम

2024

की धारा 9 एवं 10 के अन्तर्गत नोटिस तामील हो जाने के बावजूद अनुपस्थित रहे हैं अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावें । हम जयपुर विकास प्राधिकरण के कथन से सहमत हैं। अतः गोविन्दाराम ,श्री नारायण पि0 प्रताप, श्योचन्दा, राम कुमार, राम सहाय पि0 प्रताप जाति अहीर व धासी राम पुत्र प्रताप , श्योनारायण पुत्र प्रताप के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई ।

हम उपरोक्त हितधारीयों को/ हितधारी व्यक्ति मानते हैं परन्तु अवार्ड में से मुआवजा राशि का भुगतान राजस्व सम्बन्धित दस्तावेजात की असल प्रतियाँ आ दिनाकं पेश करने पर ही देय होगी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमात में सार्वजनिक नोटिस भी तामील कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति,नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये जो दिनाकं 29.4.91 को जारी किये गये ।

मुआवजा निर्धारण :-
===============

जहाँ पथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एंव आवासल विभाग के आदेश क्रमाकं प-6(15)87 दिनाकं 1-1-89 द्वारा मुआवजा की राशि का निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया है। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमाकं 353-355 दिनाकं 11-2-91 के द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एंव आवासन विभाग जयपुर तथा आयुक्त जीविप्रा एंव सचिव जीविप्रा को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजा निर्धारण करने की प्रक्रिया शीघ्रम पूर्ण करा ली जावें। इसके उपरान्त समय समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है ।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशियेशन नहीं किया गया है ।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किया है उनमें कृषि भूमि के मुआवजे का निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ
जयपुर

वर्ष 7-7-88 को हुआ था इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष्य में 7 जुलाई 1988 को विभिन्न उप पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की दर क्या थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

जहाँ तक उपरोक्त खसरा नम्बरान के हितदारान के मुआवजा के निर्धारण का प्रश्न है खातेदारान व्दारा भूमि के मुआवजे की राशि बिना किसी आधार के तथा मन माने तौर पर मुआवजा राशि चाही गई है। तथा ना ही किसी रजिस्टर्ड वेल्यूवर से स्ट्रेक्चर का तखमीना प्रमाणित कराया गया है तथा भूमि के स्वामित्व संबंधी कोई ठोस प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये है अतः भूमि के मुआवजा राशि 24,000/- रु0 दी जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति नहीं है तथा खातेदारान व्दारा जो व्यवसाय हेतु दुकान एंव भूखन्ड की माँग की गई है वह दिया जाना स्वीकार नहीं है। क्योंकि पृथ्वीराज नगर योजना पर इसका बुरा प्रभाव पडेगा। हम जविप्रा के अभिभाषक के कथन से सहमत है।

लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिध्दान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में जीवप्रा जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है का भी पक्ष ज्ञात किया गया। जीवप्रा के सचिव ने पत्र क्रमांक टी॰डी॰आर/91/[illegible] 336 दिनांक 8-6-91 व्दारा इस सम्बन्ध में सुचित किया है कि धारा 4 के गजट नोटीफिकेशन के समय में ग्राम गोकुलपुरा [illegible] में 20,000/- रु॰ प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था इसलिए जहाँ तक इनके पक्ष का संबंध है यह दर उचित है।

हमने इस संबंध में उप पंजीयक एवं तहसीलदार तहसील जयपुर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो यह ज्ञात हुआ कि धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार, जीवप्रा, (प्रथम) ने अपने यू0ओ0नोट दिनांक 8-5-91 व्दारा ग्राम गोकुलपुरा तहसील जयपुर में धारा 4 के नोटीफिकेशन के समय जमीन की विक्रय दर यही बताई है।

लेकिन इस न्यायालय व्दारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस पास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये थे जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जीवप्रा के अभिभाषक ने कोई लिखित में उत्तर ना देकर मौखिक रुप से यह निवेदन किया कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जीवप्रा कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय व्दारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं। जीवप्रा व्दारा दावेदारान/हितदारान स्ट्रेक्चर के तखमीने अनुमोदित करके भेजे गये है उनका मुआवजा राशि दावेदारान/ हितदारान को दी जाती है तो जीवप्रा को कोई आपत्ति न

~~अलग अलग मामले~~

उक्त मामलों में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- रुपये प्रति बीधा की दर दिया जाना उचित मानते हैं। एंव हम यह भी मानते हैं कि धारा 4 के 8 गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवार्ड पारित करने के लिये 2 वर्ष की समयावधि नियत है।

जहा तक पेड़-पोधे,कुए, सड़के एंव भूमि पर बने अन्य स्ट्रेक्चर का प्रश्न है दावेदारान /हितदारान द्वारा कोई तकमीना रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित कराकर पेश नहीं किया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो स्ट्रेक्चर का तकमीने अनुमोदित होकर प्राप्त हुये हैं उनका मुआवजा दावेदारान/हितदारान को स्ट्रेक्चर का तकमीना जविप्रा से प्राप्त हुये उसके अन्तर्गत किया जावेगा ।

हम इस भूमि का मुआवजा निर्धारण तो 24,000/- रुपये प्रति बीधा की दर से करते हैं लेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रुप से मालिकाना हक सम्बन्धी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा.। मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ठ "ए" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग हैं के अनुसार निधारित किया जा रहा हैं।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1-ए) एवं 23(2) के अंतर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट"ए" में मुआवजे के साथ दर्शाया गया है ।

अतिरिक्त निदेशक(प्रथम) एवं सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 818 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है। कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुलन सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन सीलिंग अधिनियम 1976 से प्रभावित है लेकिन इन्होने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन सीलिंग अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे है ।

अत: यह अवार्ड आज दिनांक 25.7.1991 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किया जा रहा है ।

संलग्न :परिशिष्ठ "ए"
गणना तालिका

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ, जयपुर ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएँ
जयपुर

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.6(15) नाविआ/87 पार्ट दिनांक 31-7-91 के द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। आज दिनांक 31-7-91 को अवार्ड सरे इजलास सुनाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

परिशिष्ट "ब" गमना तहसील ग्राम गोकुलपुरा

क्र.सं.	खातेदार/हितदार का नाम	ख.नं.	रकबा बी.बि.	भूमि की दर 24,000/- प्रति बीघा	भूमि के मुआवजे राशि	स्टेक्चर के मुआवजा	12% अति.	सोलेशियम 30%	कुल राशि
1. 77/88	खातेदार:- श्योचन्दा, गोविन्दराम श्री नारायण, राम कुमार, रामनाथ, पि. प्रताप हि. 1/2 रामनाथ पु. कांना हि. 1/2 सा. देह हितधारी श्योनारायण, बाबूराम, प्रभु दयाल गुलाबचन्द, रामलाल, मंगलराम, नाथूराम, कुवालाल पि. रामनाथ हि. 8/9 व रामेश्वर, कूथा, रामनिवास मोहन, राधेश्याम, पि. गिरधारी हि. 1/9	75 76 109 128 147 155 161 186 254	28-00 27-12 00-04 00-02 08-11 12-11 22-17 14-02 00-06 114-05	24,000/-	27,42,000/-	8,09,142/-	13,00,417/-	10,55,043/-	59,12,602/-
2. "	गोविन्दराम, श्रीनारायण देव प्रकाश जाति, अहीर सा. देह.	105 130/1 131 136/1 143 150/2 152/2 239 242	02-02 00-06 01-13 01-05 00-01 01-05 00-16 02-01 01-04 10-03	"	2,55,600/-	----	93,626/-	76,680/-	4,25,906/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर।

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं,
जयपुर

.......2

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
3.	77/88	श्योचन्दा, रामकुमार, रामसहाय पि०प्रताप जाति अहीर सा०देह. खातेदार.	107	01-08						
			129	00-12						
			130/2	00-06						
			132	01-09						
			136/2	02-03						
			139	01-03						
			140	01-01						
			141	01-14						
			144	00-01						
			145	00-01						
			150/1	01-17						
			152/1	02-00						
			244	01-08						
			245	01-00						
				16-03	24,000/-	3,87,600/-	—	1,41,978/-	1,16,280/-	6,45,858/-
4.	"	श्योचन्दा, रामकुमार, गोविन्द राम श्योनारायण, रामसहाय पि०प्रताप जाति अहीर सा. देह. खातेदार.	108	00-01	"	1,200/-	5,14,214/-	1,88,796/-	1,54,624/-	8,58,834/-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

.....3.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
5.	77/88 90/88	राम नाथ पुत्र नाना जा: अहीर सा: देह खातेदार हिस्सेदार :- इन्द्रनारायण, बाबूराम, प्रभुदयाल गुलाबचन्द, रामलाल, मंगलराम, नानूराम, छुवालाल, पि० रामनाथ हि० 8/9 व रामेश्वर पुत्र, राम निवास, मोहन, राधेश्याम, पि० गिरधारी हि० 1/9	126 127 133 134 135 137 106 110 111 112 113 142 149 151 240 241 243	03-00 01-06 00-12 00-10 04-14 02-16 03-17 00-11 00-15 01-11 00-15 00-01 04-00 03-00 00-18 01-04 01-05						
				30-15	24,000/-	7,38,000/-	9,66,530/-	6,24,369/-	6,11,359/-	28,40,258/-
6.	77/88	गोविन्दराम, घासीराम पि० प्रताप जाति अहीर,	136/3 136/4	01-15 01-07	"	74,400/-	——	27,253/-	22,320/-	1,23,973/-

नोट:-

1. सोलेशियम 30 प्रतिशत कालम नं० 7 पर मुआवजे राशि पर देय होगा ।
2. अतिरिक्त राशि 12 प्रतिशत की गणना धारा 4 (1) का गजट दिनांक -7-88 से 25-7-91 तक की गई है ।

भूमि अवाप्ति अधिकारी,
नगर विकास परियोजनाएं, जयपुर ।